बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –19 / 2015– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी में विद्युत बोर्ड द्वारा एक 200 KVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा 11 KV लाईन पहुँचाने हेतु पर्यवेक्षण शुल्क सहित कुल रू॰ 4,60,000=00 (चार लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी के पत्रांक–67, दिनांक 15.05.2015 एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक–1121 एवं 1434, दिनांक 22.04.2015 के आलोक में विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी में विद्युत बोर्ड द्वारा एक 200 KVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा 11 KV लाईन पहुँचाने हेतु पर्यवेक्षण शुल्क सहित कुल रू॰ 4,60,000=00 (चार लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय" (विपत्र कोड–पी 4202021040102) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी तथा उसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C)(1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, मोतिहारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –19/2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –19/2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –19/2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मोतिहारी/सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –19/2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –19/2015– 1923 /पटना, दिनांक– 18/8/015

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी– 3/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

तुल॰- 18/8/15

18/8/15
सरकार के अपर सचिव